कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

क्रमांकः—एफ( )/सर्वे/उवसं./2020—21/11525 दिनांकः— 23.11.2020

जिला कलक्टर,

झुंझुनूं।

विषयः—मनसा माता एनिकट निर्माण में आ रही वन भूमि व चारागाह के बदले आवंटन की जाने वाली भूमि बाबत।

संदर्भः—फोरेस्ट क्लीयरेंस की साईट पर ऑनलाईन डायवर्जन प्रकरण मनसा माता एनिकट क्षेत्रफल 1.8498 है0 वन भूमि के संबंध में आप द्वारा प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित पत्रांक एफ 12(3)राज/2020/3397 दिनांक 06.10.2020, आपका पत्रांक एफ 12(3)राज/2020/3294 दिनांक 29.09.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 11039 दिनांक 03.11.2020, 9624 दिनांक 29.09.2020 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा फोरेस्ट क्लीयरेंस की साईट पर ऑनलाईन डायवर्जन प्रकरण मनसा माता एनिकट क्षेत्रफल 1.8498 है0 वन भूमि के संबंध में आप द्वारा प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित पत्रांक एफ 12(3)राज/2020/3397 दिनांक 06.10.2020 द्वारा ग्राम खोह में एनिकट निर्माण में आ रही कुल 11.4730 हैक्टर भूमि में से 9.2729 हैक्टर चारागाह भूमि तथा 1.8498 हैक्टर वन भूमि आ रही है। आप द्वारा एनिकट निर्माण में आ रही 1.8498 हैक्टर वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि के आवंटन हेतु ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 1641/1186 रकबा 12.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह में से 1.8498 हैक्टर वन विभाग को दिये जाने एवं ग्राम मण्डावरा स्थित भूमि खसरा नं 1867/433 रकबा 5.04 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ में से 1.8498 हैक्टर भूमि के क्षतिपूर्ति प्रस्ताव राज्य सरकार को संदर्भित पत्र द्वारा भिजवाये है।

आप द्वारा एनिकट निर्माण में आ रही 9.2729 हैक्टर चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिये ग्राम खोह में खसरा नम्बर 59 रकबा 13.09 हैक्टर किस्म बंजड़ दोयम में से 9.2729 हैक्टर भूमि के क्षतिपूर्ति प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। वन भूमि के लिए प्रस्तावित भूमि 1.8498 हैक्टर के लिए इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 9624 दिनांक 29.09.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है, परन्तु चारागाह के लिए ग्राम खोह के खसरा नम्बर 59 रकबा 13.09 हैक्टर किस्म बंजड़ दोयम में से क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित की जाने वाली 9.2729 हैक्टर भूमि वन खण्ड कांकरिया मैन के ग्राम खोह की रक्षित वन भूमि के गत खसरा नम्बर 61 में पड़ती है और राज्य सरकार द्वारा वन खण्ड काकरिया मैन को राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 08.03.1973 द्वारा रक्षित वन घोषित किया गया है। उक्त खसरा संख्या का अमलदरामद वन विभाग के नाम करने हेतु समय समय पर राजस्व विभाग को लिखा गया है लेकिन अमलदरामद वन विभाग के नाम नहीं हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार नोटिफाईड वन भूमि का आवंटन बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता। अतः खसरा नम्बर 59 की भूमि को वन विभाग के नाम अमलदरामद कराने हेतु तहसीलदार, उदयपुरवाटी को निर्देशित करने का कष्ट करावें तथा चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु वन खण्ड कांकरिया मैन के ग्राम खोह की रक्षित वन भूमि के गत खसरा नम्बर 61 की 9.2729 हैक्टर भूमि के स्थान पर अन्यत्र भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव भिजवाने का कष्ट करावें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं